

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

रामलाल पिता रामचन्द्र रेगर नि. जहाजपुर

बनाम

प्रभुलाल पिता नन्दा रेगर नि. पीपलुन्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 448/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
31.05.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2250/3, 2894/2550 कुल किता 02 रकबा 1.2950 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2250/3, 2894/2550 कुल किता 02 रकबा 1.2950 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 31.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
क्रमांक/रीडर/2023/1119/2023 दिनांक :- 31.04.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 1119/23 अनवान रामलाल पिता रामचन्द्र रेगर नि. जहाजपुर बनाम प्रभुलाल, कालू, मनोहर, दिलीप पिता नन्दा रेगर, दिलखुश, आशीष पिता कैलाश रेगर, मगनी पत्नि कैलाश रेगर, रामपाल पिता सुरजा रेगर, दुर्गालाल पिता गोपीराम रेगर, मुलचन्द्र पिता दुर्गालाल रेगर, तेजूराम पिता गोगाराम रेगर, प्रेमराज पिता गोगाराम रेगर, हरलाल पिता गोगाराम रेगर, ओमप्रकाश पिता मांगीलाल तेली, मांगीलाल पिता छीतर तेली, लादू पिता सूरजा रेगर, गोपाल पिता खाना जाट, जगदीश पिता लादू जाट, बन्ना पिता लादू जाट, भैरू पिता खाना जाट, रामकुंवार, सुखदेव पिता लादू जाट, रसाली पुत्री खाना जाट, दुर्गालाल पिता गोगा रेगर, रामपाल पिता श्रवण रेगर, मूली पुत्री श्रवण रेगर नि. पीपलुन्द वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2250/3, 2894/2550 कुल किता 02 रकबा 1. 2950 हैक्टेयर र भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)